

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स: 05946-220003 ई-मेल: cfwkum-forest-uk@nic.in
पत्र संख्या 817 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 15-11-2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य कियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
संदर्भ: आपके कार्यालय की पत्र संख्या 2884/12-1 दिनांक 24.05.2025।

महोदय,

संदर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण में दो बिन्दुओं कमशः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाली SIR नवीन प्रारूप में उपलब्ध कराने तथा प्रस्तावित योजना के 100 पौधों की वृक्षारोपण योजना नवीन दरों के आंकलित कर संलग्न करने हेतु आपत्ति लगायी गयी, जिसके कम में प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर द्वारा अपने पत्रांक 1252/12-1 दिनांक 13.10.2025 से उक्त आपत्तियों का उत्तरालेख इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर का उत्तरालेख मय संलग्नकों सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

(संलग्न: उपरोक्तानुसार।)

भवदीय,

(डॉ० साकेत बडोला)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक: 817 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर को उनके पत्रांक 1252/12-1 दिनांक 13.10.2025 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ० साकेत बडोला)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

१

कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

निकट विकास भवन रुद्रपुर, कोषागार, रुद्रपुर, उत्तराखण्ड। फोन व फैक्स-05944 250060, Email-dfotaraicentral@rediffmail.com

पत्रांक 1252/ 12-1 रुद्रपुर,

दिनांक 13/10/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय :- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online Proposal No.: FP/UK/OTHERS/155386/2022)

संदर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 2884/ 12-1 दिनांक 24.05.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के संदर्भित पत्र में जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्दूचौड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में उच्च स्तर से प्राप्त आपत्ति के क्रम में उत्तरालेख निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है:-

क्र० सं०	आपत्ति	उत्तरालेख
1	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाली SIR नवीन प्रारूप में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि SIR नवीन प्रारूप में उपलब्ध अंकित कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक:- 01)
2	प्रस्तावित योजना के 100 पौधों की वृक्षारोपण योजना नवीन दरों के आंकलित कर संलग्न किया जाना है।	उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराना है कि प्रयोजना में 100 पौधों की वृक्षारोपण योजना नवीन दरों के आंकलित कर संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक:- 02)

संलग्नक: उरोक्तानुसार।

कार्यालय, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड वन अरण्य भवन,
उत्तराखण्ड हल्द्वानी
पंजीकरण संख्या 2617
पत्राकली संख्या 12-1
दिनांक 24-10-2025

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवारी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर

सं० -1252/12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-नैनीताल को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

(उमेश चन्द्र तिवारी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर

प्रपत्र-3

परियोजना का नाम:- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्द्वौड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)


प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/UK/Others/155386/2022

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति	
(i) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड।
(ii) जिला	उधमसिंहनगर।
(iii) जिला वन प्रभाग	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर।
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	0.063 है0
17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:	आरक्षित वन क्षेत्र।
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्थिति का ब्यौरा:	
(i) वन का प्रकार	मानव निर्मित वन (रोपित वन)
(ii) वनस्थिति का औसत पूर्ण धनत्व	0.4-0.7
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना	संलग्न।
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा	संलग्न।
19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण	संलग्न।
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :	संलग्न।
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :	
(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :	हाथी, तेंदुआ, हिरन, मोर एवं बाघ, आदि।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाए)	नहीं
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	-

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि. मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)	नहीं
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	-
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	नहीं
23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	
(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	हाँ
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	-
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नहीं
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	-
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	-
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	संलग्न है।
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	संलग्न है।
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	संलग्न है।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	संलग्न है।
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	संलग्न है।
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	संलग्न है।

26. वनस्यति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	संलग्न है।
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों	स्वीकृत कर प्रस्तुत।

दिनांक: 03.12.2024
स्थान: रुद्रपुर

हस्ताक्षर 
नाम: उमेश चन्द्र तिवारी
सरकारी मोहर

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर

परियोजना का विवरण:- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्द्वीड़ में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(FP/UK/Others/155386/2022)

Check list for site inspection by the DFO/CF/CCF/APCCF

S.No	Particular	Comments of Inspecting Officer
1	Extent in hectares	0.063 hac
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	Enclosed in Annexure
3	Legal status of the forest land (PF/RF/other types of forest land)	Reserve Forest
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	Yes by help paint on the vertex
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	Not any
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	Jamun, Eucalyptis, Arjun, Sheesham, Aam Bakain, sagon and others. Working plan prescription is enclosed.
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	Density of Proposed site is between 0.4-0.7 and most common wildlife are Tiger, Elephant, Monkey and Leopard etc.
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	No such specific flora/fauna endemic to this area .
10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working plan and if not why?	Working plan prescription is enclosed.
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	None
12	Any dependent persons/families on this land.	None
13	Any displacement of persons proposed.	Not any.
14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced ?	Not required

15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	Enclosed in Annexure
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. Area.	Proposal is more than 10 km away from Nandhaur Wildlife Sanctuary .
17	Dependence of tribals in the area. Whether the right of the tribals have been recognized in this area.	Not any.
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	Enclosed in Annexure
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	N/A
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	N/A
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	The report as attached on the proposal.
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	Only 05 trees are going to be affect
23	Any other issue of significance.	Not Any
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the project.	Recommended

Date: 03-12-2024

Signature -



Name - Umesh Chandra Tiwari

Designation - Deputy Conservator of Forest




जनपद--नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्द्वीर में एन0एच0 87 एवं रेल पटरी के मध्य क्रियाशाला संस्कार स्थल के विषय:- निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

(Online proposal No. FP/UK/Others/155386/2022)

Working plan prescription

विषयवित्त प्रस्ताव तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर के प्रभावित होने वाले प्लॉट का विवरण निम्न प्रकार है:-

S.No.	Range Name	Plot no.	Block name	Working circle
1	हल्द्वीर रेंज	D- Class	हल्द्वीर	सामान्य कार्यवृत्त


प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर

संयुक्त निरीक्षण आख्या ।

प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के कार्यालय अधीन सन्ख्या 1824/12 व हल्द्वी विभाग 09/12/2023 के परिपालन में आज दिनांक 07.12.2024 को मानवीय मूल्यांकन मापका संख्या 78/2024 के अन्तर्गत विधान रक्षा क्षेत्र ललितपुरा अन्तर्गत हल्द्वीबोर्ड में एन10एन10-87 व एन 10एन 10-87 के अन्तर्गत लक्ष्य पर क्रियाशाला संस्कार स्थल निर्माण के सम्बन्ध में पृथक की गणना एवं मापका निरीक्षण किया गया परस्तावित भूमि हल्द्वीबोर्ड में तराई-अल्मोड़ा-नागेश्वर रोड में सीतावती अर्थात् कानपुर व सामन एन10एन10-87 व शेलपट्टी के मध्य स्थित है परस्तावित भूमि में स्थित वृक्षों की स्थिति निम्न प्रकार है।


1. 90 cm गोलाई-23 वृक्ष अयोग्य सामान ।
2. 70 cm गोलाई-02 वृक्ष अयोग्य सामान ।
- कुल 05 वृक्ष ।

latitude-29-103900
Longitude-79-519155
latitude-29-114697
Longitude-79-520472


latitude-29-103850
Longitude-79-519365
latitude-29-103601
Longitude-79-519071

(वन विभाग)


1. श्री आनन्द कुमार,
वन क्षेत्राधिकारी
हल्द्वानी



प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
रुद्रपुर, उत्तरांचल प्रदेश

ग्रामीण निर्माण विभाग ।


श्री महेश सिंह
सहायक अभियन्ता
उपरसहायक विभाग ।

2. श्री रमेश जोशी
वन दरंगा, हल्द्वीबोर्ड,


उप प्रभागीय वनाधिकारी (हल्द्वानी)
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
रुद्रपुर (उत्तरांचल प्रदेश)


श्री अंकित कुमर
उप सहायक अभियन्ता ।
ग्रामीण निर्माण विभाग ।
प्रखण्ड-नैनीताल

3. श्री प्रतीक कुंवर
वन आरक्षी, हल्द्वीबोर्ड

प्रायकलन बावत्-हल्द्वानी राजि के अन्तर्गत टाण्डा ब्लॉक 100 वृक्षों की वृक्षारोपण कार्य।

रेजि- हल्द्वानी राजि

प्रभाग- तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर

ब्लॉक - टाण्डा ब्लॉक

क्षेत्रफल शुद्ध-

0.10 है०

कुल पौध

100.00 पौध

क्र. सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि (रु०)	कुल योग	प्रतिशत
प्रथम वर्ष की वृक्षारोपण कार्य						
1	साईट सर्वेक्षण कार्य (साईट विभाजन व मर्यादाएँ काईट केन्द्र बनाना) मूल्य 1150.00	0.10	1150.00	115.00	115.00	2.3.1
2	सीमा की बाधा - 100 मीटर लंबाई वाली बाधा व लकड़ी खपत का मूल्य	0.10	1396.70	1396.70	1396.70	2.3.1.1
3	सड़क का समतल बनाने का मूल्य	0.10	411.00	41.10	41.10	2.3.1.2
4	सड़क निर्माण				0.00	2.3.1.3
5	सड़क की चौड़ाई 0.45 - 0.45 - 0.45 मीटर	0.10	17502.00	1750.20	1750.20	2.3.1.4
6	सड़क की चौड़ाई 0.45 - 0.45 - 0.45 मीटर (Rs. 27 00 per Meter)	0.10	4050.00	4050.00	4050.00	2.3.1.5
7	सिंचना (30) कर की योजना	0.10	9527.00	952.70	952.70	2.3.1.6
	सिंचना केन्द्र	0.10	2176.00	217.60	217.60	2.3.1.7
7	सांकेतिकीय पट्टा बनाना - 120 मीटर चौड़ाई में सांकेतिक पट्टा - 0.10x0.09 = 0.09 चौड़ाई - 0.10x0.09 / 2 = 0.00 चौड़ाई जो 4 अक्षरों में एकलक्ष 100 10 मि. एकाक्ष (बायां) दूरी में निर्मित हो व फर्श के ऊपर के तल में 100 मीटर लंबाई 10 एकाक्ष व्यास के 4 डील समान दूरी पर बन हो (30 मीटर प्रति 100 अक्ष मीटर के अनुसार)	0.10	17525.00	1752.50	1752.50	2.3.1.8
	सांकेतिकीय पट्टा के अक्षरों एवं स्थापना का मूल्य	0.10	4038.00	403.80	403.80	2.3.1.9
	सिंचना केन्द्र में एक मीटर लंबाई का सिंचना	0.10	13000.00	1300.00	1300.00	2.3.1.10
8	पौधों का मूल्य - 10 प्रतिशत अतिरिक्त का मूल्य	0.10	13178.00	1317.80	1317.80	2.3.1.11
9	पौधों का मूल्य - 10 प्रतिशत अतिरिक्त का मूल्य	0.10	11500.00	1150.00	1150.00	2.3.1.12
10	पौधों का मूल्य - 10 प्रतिशत अतिरिक्त का मूल्य	0.10	730.00	73.00	73.00	2.3.1.13
11	पौधों का मूल्य - 10 प्रतिशत अतिरिक्त का मूल्य	0.10	730.00	73.00	73.00	2.3.1.14
12	पौधों का मूल्य - 10 प्रतिशत अतिरिक्त का मूल्य	0.10	1461.00	146.10	146.10	2.3.1.15
13	पौधों का मूल्य - 10 प्रतिशत अतिरिक्त का मूल्य	0.10	1461.00	146.10	146.10	2.3.1.16
14	पौधों का मूल्य - 10 प्रतिशत अतिरिक्त का मूल्य	0.10	1461.00	146.10	146.10	2.3.1.17
प्रथम वर्ष का योग				150317.00	15031.70	
द्वितीय वर्ष की वृक्षारोपण कार्य						
15	सड़क का चौड़ाई - 0.45 मीटर लंबाई मिलाकर बनाने (i) 0.45 - 0.45 मीटर	0.10	2160.00	216.00	216.00	2.3.2.1
16	सीमा की बाधा - 100 मीटर लंबाई वाली बाधा व लकड़ी खपत का मूल्य	0.10	372.00	37.20	37.20	2.3.2.2
17	पौधों का मूल्य - 10 प्रतिशत अतिरिक्त का मूल्य	0.10	3630.00	363.00	363.00	2.3.2.3
18	पौधों का मूल्य - 10 प्रतिशत अतिरिक्त का मूल्य	0.10	6218.00	621.80	621.80	2.3.2.4
	पौधों का मूल्य - 10 प्रतिशत अतिरिक्त का मूल्य	0.10	301.00	30.10	30.10	2.3.2.5
19	पौधों का मूल्य - 10 प्रतिशत अतिरिक्त का मूल्य	0.10	4834.00	483.40	483.40	2.3.2.6
20	सिंचना केन्द्र (विभिन्न आकारों के डील इत्यादि)	0.10	12142.00	1214.20	1214.20	2.3.2.7

21	निगई का प्रयोग	0.10	हेक्टर	4206.00		420.60	420.60	2.3.3.1
	काट्टा टिकाई	0.10	हेक्टर	3365.00		336.50	336.50	
	घास, दुग्धक घास का इस्तेमाल (हेक्टर)	0.10	हेक्टर	2103.00		210.30	210.30	
22	बीज वृद्धि का प्रयोग	0.10	हेक्टर	110.00		11.00	11.00	2.3.3.2
23	कृषासंरक्षण उपकरण आदी कटौत/ खेत की सफाई 2 बार	0.10	हेक्टर	5964.00		596.40	596.40	2.3.3.3
24	जल, बांध, मार्ग को कृषासंरक्षण क्षेत्र व पर्यटन मार्ग व निरीक्षण क्षेत्रों का नक्शा बनाने का एक एक एक	0.10	हेक्टर	857.00		85.70	85.70	2.3.3.4
25	कमजोर क्षेत्रों व क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के लिए सफाई	0.10	हेक्टर	2450.00		245.00	245.00	2.3.3.5
26	सांस्कृतिक कार्यक्रम (3X4पीटी) कर्मचारी कार्य	0.10	हेक्टर	250.00		25.00	25.00	2.3.3.6
27	सांस्कृतिक क्षेत्रों के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हेक्टर	301.00		30.10	30.10	2.3.3.7
28	दत्त-दत्त व दत्त-दत्त का प्रयोग वर्ष में 08 महीने (1000 हेक्टर तक एक एक एक)	0.10	हेक्टर	11472.00		1147.20	1147.20	2.3.3.8
29	कृषासंरक्षण क्षेत्रों के बांध कटौत/ खेत की सफाई (वर्ष में 2 बार)	0.10	हेक्टर	293.00		29.30	29.30	2.3.3.9
30	मूल्यवर्धन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	608.00		60.80	60.80	2.3.3.10
31	अन्य कृषासंरक्षण कार्य - 0.50 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	304.00		30.40	30.40	2.3.3.11
32	कृषासंरक्षण क्षेत्रों की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, न्यायिक/अन्य व्यय व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	608.00		60.80	60.80	2.3.3.12
33	कार्यालय व्यय - साधन, हाईवेयर/साफ्टवेयर - 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	608.00		60.80	60.80	2.3.3.13
34	अन्य आर्थिक व्यय - 2 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	608.00		60.80	60.80	2.3.3.14
				द्वितीय वर्ष का योग		6376.40	6376.40	
				प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का योग	15031.70	6376.40	21408.10	

तृतीय वर्ष का योग

क्र. सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	घनराशि (₹)	SOIC NO.	
35	कृषासंरक्षण क्षेत्रों की दत्त-दत्त का पारिश्रमिक 12 महीने (1000 हेक्टर तक एक एक एक)	0.10	हेक्टर	17208.00	1720.80	2.3.4.1
36	20 प्रतिशत योग्य क्षेत्रों की सतिसुती फसल की कीमत व दुग्धन का कार्य (संयोजित कार्य संयोजित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा) वार्षिक सतिसुती अनुसार मंच पर कार्य किया जायेगा (220 Plants) प्राथमिक व सीमित को दृष्टिगत रखा जायेगा)	0.10	हेक्टर	4664.00	466.40	2.3.4.2
37	निगई एवं गुड़ाई	0.10	हेक्टर	3365.00	336.50	2.3.4.3
38	घास दहन हेतु आड़ी कटौत/ क्षेत्र की सफाई (वर्ष में 2 बार)	0.10	हेक्टर	5964.00	596.40	2.3.4.4
39	सांस्कृतिक क्षेत्रों के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हेक्टर	337.00	33.70	2.3.4.5
40	सांस्कृतिक क्षेत्रों के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हेक्टर	428.00	42.80	2.3.4.6
41	निगई उपकरण (मिजल उपकरण)	0.10	हेक्टर	2300.00	230.00	2.3.4.7
				उप-योग	3426.60	
42	मूल्यवर्धन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	343.00	34.30	2.3.4.8
43	अन्य कृषासंरक्षण कार्य - 0.50 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	171.00	17.10	2.3.4.9
44	कृषासंरक्षण क्षेत्रों की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, न्यायिक/अन्य व्यय व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	343.00	34.30	2.3.4.10
45	कार्यालय व्यय - साधन, हाईवेयर/साफ्टवेयर - 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	343.00	34.30	2.3.4.11
46	अन्य आर्थिक व्यय - 2 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	685.00	68.50	2.3.4.12
				तृतीय वर्ष का योग	3615.10	

तृतीय वर्ष का योग

क्र. सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	घनराशि (₹)	SOIC NO.	
47	कृषासंरक्षण क्षेत्रों की दत्त-दत्त का पारिश्रमिक 12 महीने (1000 हेक्टर तक एक एक एक)	0.10	हेक्टर	17208.00	1720.80	2.4.4.1
48	निगई एवं गुड़ाई	0.10	हेक्टर	3365.00	336.50	2.4.4.2
49	घास दहन हेतु आड़ी कटौत/ क्षेत्र की सफाई (वर्ष में 1 बार)	0.10	हेक्टर	2982.00	298.20	2.4.4.3
50	सांस्कृतिक क्षेत्रों के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हेक्टर	337.00	33.70	2.4.4.4
51	सांस्कृतिक क्षेत्रों के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हेक्टर	428.00	42.80	2.4.4.5

52	विद्यार्थी व्यवस्था (विद्यार्थी-द्वयार्थी)	0.10	हेक्टर	2300.00	2300.00	2.3.2.2
	उप-योग	0.10	हेक्टर	26620.00	26620.00	
53	मूलांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	266.00	26.60	2.3.2.3
54	क्षम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	133.00	13.30	2.3.2.4
55	कृषासंपन्न क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय -1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	266.00	26.60	2.3.2.5
56	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर -1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	266.00	26.60	2.3.2.6
57	अन्य आकारिमक व्यय- 2 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	533.00	53.30	2.3.2.7
	चतुर्थ वर्ष का योग	0.10	हेक्टर	28084.00	2808.40	

चतुर्थ वर्ष का अनुमानित व्यय

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	घनराशि (रु०)	SCMR No.	
58	कृषासंपन्न क्षेत्र की देख-रेख का पारिभाषिक 12 माह (10.00) हे० तक एक श्रमिक)	0.10	हेक्टर	17208.00	1720.80	2.3.3.1
59	तारबन्ध के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हेक्टर	337.00	33.70	2.3.3.2
	उप-योग	0.10	हेक्टर	17545.00	1754.50	
60	मूलांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	175.00	17.50	2.3.3.3
61	क्षम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	89.00	8.90	2.3.3.4
62	कृषासंपन्न क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय -1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	175.00	17.50	2.3.3.5
63	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर -1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	175.00	17.50	2.3.3.6
64	अन्य आकारिमक व्यय- 2 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	351.00	35.10	2.3.3.7
	पंचम वर्ष का योग	0.10	हेक्टर	18510.00	1851.00	


षष्ठम वर्ष का अनुमानित व्यय

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	घनराशि (रु०)	SCMR No.	
65	कृषासंपन्न क्षेत्र की देख-रेख का पारिभाषिक 12 माह (10.00) हे० तक एक श्रमिक)	0.10	हेक्टर	17208.00	1720.80	2.3.4.1
66	तारबन्ध के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हेक्टर	337.00	33.70	2.3.4.2
67	कल्याण आकरेशन सिमिलिंग प्रीमियम	0.10	हेक्टर	160.00	16.00	2.3.4.3
	योग	0.10	हेक्टर	17705.00	1770.50	
68	मूलांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	177.00	17.70	2.3.4.4
69	क्षम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	89.00	8.90	2.3.4.5
70	कृषासंपन्न क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय -1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	177.00	17.70	2.3.4.6
71	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर -1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	177.00	17.70	2.3.4.7
72	अन्य आकारिमक व्यय- 2 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	354.00	35.40	2.3.4.8
	षष्ठम वर्ष का योग	0.10	हेक्टर	18679.00	1867.90	

सप्तम वर्ष का अनुमानित व्यय

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	घनराशि (रु०)	SCMR No.	
73	कृषासंपन्न क्षेत्र की देख-रेख का पारिभाषिक 12 माह (10.00) हे० तक एक श्रमिक)	0.10	हेक्टर	17208.00	1720.80	2.3.5.1
74	तारबन्ध के बाहर अग्नि सुरक्षा कार्य	0.10	हेक्टर	337.00	33.70	2.3.5.2
75	कल्याण आकरेशन सिमिलिंग प्रीमियम	0.10	हेक्टर	160.00	16.00	2.3.5.3
	उप-योग	0.10	हेक्टर	17705.00	1770.50	
76	मूलांकन एवं अभिलेखीकरण- 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	177.00	17.70	2.3.5.4
77	क्षम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	89.00	8.90	2.3.5.5
78	कृषासंपन्न क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय -1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	177.00	17.70	2.3.5.6
79	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर -1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	177.00	17.70	2.3.5.7
80	अन्य आकारिमक व्यय- 2 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	354.00	35.40	2.3.5.8

		सप्तम वर्ष का योग	0.10	हेक्टर	18679.00	1867.90
सप्तम वर्ष के कुल/योग का योग (अष्टम वर्ष)						
क्र. सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	घनराशि (रु०)	सौर नं०	
81	कृषावस्थापन कार्य की दर - 12 भाग (10.00) के वन एक प्रतिशत	0.10	हेक्टर	17208.00	1720.80	2.10.10.1
82	तम्बूवाक के काल आरंभ शुरूआत कार्य	0.10	हेक्टर	337.00	33.70	2.10.10.2
		उप-योग	0.10	हेक्टर	17545.00	1754.50
83	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	175.00	17.50	2.10.10.3
84	ग्राम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	89.00	8.90	2.10.10.4
85	कृषावस्थापन क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु कालन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	175.00	17.50	2.10.10.5
86	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हाईवेयर/साफ्टवेयर - 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	175.00	17.50	2.10.10.6
87	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	351.00	35.10	2.10.10.7
		अष्टम वर्ष का योग	0.10	हेक्टर	18510.00	1851.00
नवम वर्ष के कुल/योग का योग (दशम वर्ष)						
क्र. सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	घनराशि (रु०)	सौर नं०	
88	कृषावस्थापन कार्य की दर - 12 भाग (10.00) के वन एक प्रतिशत	0.10	हेक्टर	17208.00	1720.80	2.10.10.1
89	तम्बूवाक के काल आरंभ शुरूआत कार्य	0.10	हेक्टर	337.00	33.70	2.10.10.2
		उप-योग	0.10	हेक्टर	17545.00	1754.50
90	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	175.00	17.50	2.10.10.3
91	ग्राम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	89.00	8.90	2.10.10.4
92	कृषावस्थापन क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु कालन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	175.00	17.50	2.10.10.5
93	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हाईवेयर/साफ्टवेयर - 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	175.00	17.50	2.10.10.6
94	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	351.00	35.10	2.10.10.7
		नवम वर्ष का योग	0.10	हेक्टर	18510.00	1851.00
दशम वर्ष के कुल/योग का योग (अष्टम वर्ष)						
क्र. सं०	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	घनराशि (रु०)	सौर नं०	
95	कृषावस्थापन कार्य की दर - 12 भाग (10.00) के वन एक प्रतिशत	0.10	हेक्टर	17208.00	1720.80	2.10.10.1
96	तम्बूवाक के काल आरंभ शुरूआत कार्य	0.10	हेक्टर	337.00	33.70	2.10.10.2
		उप-योग	0.10	हेक्टर	17545.00	1754.50
97	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	175.00	17.50	2.10.10.3
98	ग्राम कल्याण कार्य-0.50 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	89.00	8.90	2.10.10.4
99	कृषावस्थापन क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु कालन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	175.00	17.50	2.10.10.5
100	कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हाईवेयर/साफ्टवेयर - 1 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	175.00	17.50	2.10.10.6
101	अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत	0.10	हेक्टर	351.00	35.10	2.10.10.7
		दशम वर्ष का योग	0.10	हेक्टर	18510.00	1851.00


 सहायक संचालक
 राज्य कृषि सेवा विभाग
 जयपुर



कार्यालय— प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalfea.forest@uk.gov.in

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक— २२८५ / 12-1 देहरादून दिनांक: २९ मई, 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
रुद्रपुर।

विषय :- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुआ में तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के हल्द्वीखौड़ में एन0एच0 87 व रेली पट्टी के मध्य एक बीघा जमीन पर क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 हे० वन भूमि का ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

ऑनलाईन प्रस्ताव सं०— FP/UK/OTHERS/155386/2022

संदर्भ :- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्रांक 1616/12-1 दिनांक 27.03.2025।

माहौदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अज्ञातगीय है कि इस कार्यालय के डीसी0एच0 पत्र दिनांक 17.8.2024 के द्वारा 02 विन्दुओं पर सूचना जारी नहीं की गई थी। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक के सम्बन्धित पत्र व डीसी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विन्दु संख्या-01 के क्रम में इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में सूचीन प्रारूप में प्रभागीय वनाधिकारी की SAR उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, जो सम्बन्धित पत्र के साथ उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से भरे जाने वाली SAR सूचीन प्रारूप में तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव में सहाय्य 10% पैसे की वृक्षारोपण योजना सूचीन दर्तों से आंकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण पर अग्रसर कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या— २२८५ / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
2. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तराखण्ड, नैनीताल।

(आर0के0 मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।